रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1980/आषाढ़ 17, 1902
No. 328] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1980/ASADHA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

का०आ० 537(अ)/18क/औ०वि०वि०क०अ/80.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग [विकास और विनियमन] अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का०आ० 218(अ)/18क/औ०वि०वि०अ/78 तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा वेस्ट बंगाल फारेस्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति और प्लाईवुड लिमिटेड का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवाद, निर्बंधन और सीमाएं विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जैसे कि वह धारा 18क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी किए जाने से पूर्व उसे लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बंधन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तंभ (1) में उल्लिखित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	कम्पनी को धारा 166 के अनुसार साधारण वार्षिक अधिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है तथापि तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा यथावत तैयार किया जाएगा और इसकी लेखा परीक्षा विहित समय के भीतर की जाएगी और अन्य कानूनी विवरणियों के साथ कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।
धारा 224	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी

[फा० सं० 2/25/74/सी०यू०एस०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th July, 1980

S.O. 537(E)/18E/IDRA/80.—Whereas by the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 213(E)/18A/IDRA/78, dated the 29th March, 1978, issued under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the West Bengal Fores Development Corporation Limited to take over the management of the Industrial undertaking known as M/s. Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited located at Calcutta (hereinafter referred to as the said Industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 18E of the said Act, the Central Government, hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified Order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subect to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 166 . . .	The company need not hold the annual general meeting in accordance with section 166. However, the balance sheet and profit and loss account shall be prepared and audited as usual within the prescribed time and will be filed with the Registrar of Companies along with other statutory returns.
Section 224 . . .	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the Auditors shall be appointed by the Government of India.

[F. No. 2/25/74-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980